महत्त्वपूर्ण
स्पीड पोस्ट
E-Mail

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

पत्र सं0—09 / विविध—07—21 / 2019:— 7267 राँची, दिनांकः— 11/12/19

प्रेषकः— **राजेन्द्र प्रसाद,**
उप सचिव (अभि0)।

सेवा में,
सभी कार्यपालक अभियंता (लघु सिंचाई),
जल संसाधन विभाग।
सभी विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग।
सभी पुनर्वास पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग

विषयः— निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का बैंकों में KYC कराने के संबंध में।
प्रसंगः— योजना—सह—वित्त विभाग, राँची का पत्रांक—3143 दिनांक—05.12.2019 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुपालन में आपके कार्यालय से संबंधित सरकारी बैंक खातों का KYC दिनांक—10.12.2019 तक कराते हुए ततसंबंधी सूचना से विभाग को अवगत कराया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन
10/12/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)।

पत्रांक : वित्त–20 / विविध–09 / 2016....3143/वि०

झारखण्ड सरकार

योजना– सह–वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

दीप्ति जयराज,
विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 5/12/19

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का बैंकों में KYC कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागों/कार्यालयों के अधीन संचालित बैंक खातों से Clone Cheques के माध्यम से सरकारी राशि की अवैध निकासी के कई मामले वित्त विभाग के संज्ञान में आयें हैं। सरकारी राशि की अवैध निकासी एक चिन्ताजनक विषय है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकारी खाता संधारित करने वाले सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का संबंधित बैंकों में अपना Mobile No. अद्यतन किये जाने की आवश्यकता है, ताकि बैंक द्वारा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान की वैधता को verify किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि अपने विभाग/कार्यालय में सरकारी खाता संधारित करने वाले संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का बैंक में दिनांक 10.12.2019 तक KYC कराना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(दीप्ति जयराज)
विशेष सचिव।
4/12/19

JS (Sn Sah)
JS (Engg.)

05 DEC 2019

312 / 6/12/19

जल संसाधन विभाग
(प्रधान सचिव/सचिव कोषांग)
संख्या 3567
दिनांक 05.12.19